आरबी टेली नं. 01/2016

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2003/टेली/आरसीआईएल/1पार्ट(कन्टीन्यूड) नई दिल्ली, दिनांक 18.10.2016
22-11-16

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें,

टेलीकॉम परिपत्र सं. 01/2016

विषय: रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (आरसीआईएल) द्वारा रेलवे भूमि और भवनों पर पोल-माउन्ट/टावर लगाना।

बोर्ड (सदस्य इंजीनियरी, सदस्य बिजली और वित्त आयुक्त) ने रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (आरसीआईएल) द्वारा व्यवसाय के लिए निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों पर रेलवे भूमि/भवनों पर पोल माउन्ट/टावरों और संबद्ध उपकरण लगाने का अनुमोदन किया है:-

1. रेलटेल को पोल माउन्ट/टावरों से होने वाली सकल आमदनी, आरसीआईएल द्वारा रेल मंत्रालय के साथ शेयर किए जाने वाले राजस्व का हिस्सा होगा (वर्तमान में 7%)।

2. राजस्व को शेयर करने के अलावा, आरसीआईएल प्रति स्थान वार्षिक टोकन लाइसेंस शुल्क जमा करेगा। टोकन लाइसेंस शुल्क (स्टेशन के वाणिज्यिक कोटि के आधार पर) निम्नानुसर होगा:-

क्र. सं.	स्टेशन की कोटि	वार्षिक टोकन लाइसेंस शुल्क (स्टेशन/कॉलोनी/कार्यालय परिसर आदि प्रत्येक को एक स्थान गिना जाएगा)
1.	ए1, सी	₹ 3000.00
2.	ए	₹ 2000.00
3.	बी, डी और अन्य	₹ 1000.00

3. इस कार्य से प्राप्त राजस्व शेयर और टोकन लाइसेंस शुल्क का हिसाब राजस्व शीर्ष जेड-242 के अंतर्गत अलग-अलग रखा जाएगा।

4. प्रस्तावित स्कीम के तीन वर्ष समाप्त होने से पहले रेलवे बोर्ड द्वारा टोकन लाइसेंस शुल्क और राजस्व शेयर की समीक्षा की जाएगी।

5. पोल माउन्ट/टावरों का स्वामित्व, इन्स्टॉलेशन और अनुरक्षण संबंधी कार्य आरसीआईएल द्वारा किया जाएगा। किसी निजी पार्टी को पोलों को इन्स्टॉल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेलटेल पोलों को इन्स्टॉल करने और उसके अनुरक्षण के लिए आवश्यक निवेश करेगा।

6. रेलटेल द्वारा पोल माउन्ट/टावरों की इन्वेंटरी का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाएगा जिसकी एक प्रति संबंधित मंडल रेलवे प्राधिकारियों को उपलब्ध करायी जाएगी।

7. रेलवे बोर्ड के दिनांक 05.05.2006, दिनांक 05.10.2006 और 11.12.2006 के पत्र सं. 02/एलएमएल/13/12 के अनुसार, आरसीआईएल को रेलवे भूमि/भवनों पर टावर इन्स्टॉल करने और खुले क्षेत्र के मामले में भूमि के बाजार मूल्य का प्रति वर्ष 6% और छत के ऊपर टावर लगाने के लिए भूमि के बाजार मूल्य का 7.5% लाइसेंस शुल्क प्रभारित करने की अनुमति दी गई है। इन अनुदेशों के अंतर्गत इन्स्टॉल किए गए टावरों की इन्वेंटरी अलग से रखी जानी चाहिए और बोर्ड के उपर्युक्त पत्रों में निर्धारित किए गए अनुसार लाइसेंस शुल्क वसूल करना चाहिए।

8. प्रस्तावित पोल माउन्ट/टावर अ.अ. एवं मा.सं. की विशिष्टताओं के अनुसार होने चाहिए। पोल की ऊँचाई, भार और अन्य स्थितियां, रेलवे बोर्ड के दिनांक 11.12.2006 के पत्र सं. 02/एलएमएल/13/12 के अनुसार होनी चाहिए।

9. पोल माउन्ट/टावरों को खड़ा करने के लिए रेलटेल ऐसे स्थानों की पहचान करेगा और पोल माउन्ट/टावर इन्स्टॉल करने के प्रस्ताव के साथ कार्य स्थल योजना, फाउन्डेशन से संबंधित ब्यौरे, यदि कोई हो, के साथ-साथ संपूर्ण आरेख संबंधित मंडल के डीआरएम (एस एण्ड टी) के कार्यालय को प्रस्तुत करने के लिए आरसीएल ऐसे स्थलों के लिए साइट प्लान बनाएगा। डीआरएम (एस एण्ड टी) इंजीनियरी शाखा से आवश्यक सुरक्षा क्लीयरेंस प्राप्त करेगा। आवश्यक अनुमोदन की स्वीकृति संसूचित किए जाने के बाद ही रेलटेल द्वारा प्रस्तावित स्थान पर खड़े किए जाने वाले पोल माउन्ट/टावरों के कार्य का क्रियान्वयन किया जाएगा। पोल माउन्ट/टावर लगाने के कार्य के कारण किसी भी प्रकार से रेल सेवा का परिचालन और सुरक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए।

10. इन्स्टॉल किए गए पोल माउन्ट/टावरों को ऐन्टिना से जोड़ने के लिए भूमिगत केबल, यदि कोई हो, को रेलवे बोर्ड के टेलीकॉम परिपत्र सं. 17/2013 के अनुसार बिछाया जाना चाहिए।

11. आरसीआईएल पोल माउन्ट/टावरों से संबंधित टेलीकॉम उपकरणों के परिचालन के लिए अपेक्षित बिजली की लागत का वहन इस प्रकार की बिजली आपूर्ति कनेक्शनों के सामान्य निबंधन एवं शर्तों के अनुसार करेगा।

12. आरसीआईएल की परिसंपत्तियों और पोल माउन्ट/टावरों के साथ इन्स्टॉल की गई चीजों की चोरी, क्षति आदि की देयता का वहन नहीं करेगा।

13. रेलटेल एक वचनबद्धता देगा कि यदि पोल माउन्ट/टावरों को स्थापित करने के लिए अधिगृहित स्थान की रेलवे को भविष्य में आवश्यकता होगी तो रेलटेल उसे खाली कर देगा। दो माह का नोटिस दिया जाएगा जिसके दौरान रेलटेल द्वारा अधिगृहित स्थान को खाली कर दिया जाएगा।

14. मंडल का डीआरएम (एस एण्ड टी) कार्यालय मंडल में इन्स्टॉल किए गए ऐसे पोल माउन्ट/टावरों के कार्य में समन्वय करेगा, मॉनीटर करेगा, रेगुलेट करेगा और वह इनके लिए नोडल एजेंसी होगा। सीएसटीई का कार्यालय ज़ोनल स्तर पर आरसीआईएल द्वारा स्थापित किए गए सभी पोल माउन्टों/टावरों का समेकित ब्यौरा रखेगा।

उपर्युक्त अनुदेश इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)
रेलवे बोर्ड

कार्यपालक निदेशक (दूरसंचार)
रेलवे बोर्ड

सं. 2003/टेली/आरसीआईएल/1पार्ट.(कन्टीन्यूड) **दिनांक 18.10.2016**

प्रतिलिपि प्रेषित:

(1) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
(2) भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक(रेलें)

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 2003/टेली/आरसीआईएल/1पार्ट.(कन्टीन्यूड) **दिनांक 18.10.2016**

प्रतिलिपि:
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. को सूचनार्थ प्रेषित।

22.11.16

कार्यपालक निदेशक/दूरसंचार